रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जुलाई 27–अगस्त 2, 2008, शनिवार/श्रावण 5–श्रावण 11, 1930

No. 16] NEW DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2008, SATURDAY/SRAVANA 5—SRAVANA 11, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II–खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2008

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना इंजीनियर सेवा (गैर औद्योगिक वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहां तक उनका संबंध एम.टी. ड्राइवर श्रेणी 2 और एम.टी. ड्राइवर श्रेणी 1 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, सेना इंजीनियर सेवा में सिविलियन मोटर ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियर सेवा (सिविलियन मोटर चालक) भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सिविलियन मोटर चालक (साधारण श्रेणी)	1392*(2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों ऊपरी आयु-सीमा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2** : उन पदों के संबंध में जिन पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति की जानी है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) आठवां स्तर या कक्षा उत्तीर्ण (ii) राज्य सरकार से सभी प्रकार के यानों के लिए विधिमान्य सिविल चालन अनुज्ञप्ति रखता हो ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन :** ऐसे व्यक्ति जो रक्षा मंत्रालय या अन्य विभागों के अधीन समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों के समरूप, पदों पर कार्य कर रहे हैं और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सिविलियन मोटर चालक (श्रेणी-2)	1392*(2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं	नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा सिविलियन मोटर चालक (साधारण श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम 9 वर्ष सेवा की हो और सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-2 का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
मुख्य इंजीनियर कमान स्तर पर समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षक या इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य 3. समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड आफिसर जो विभाग से संबद्ध न हो । —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सिविलियन मोटर चालक (श्रेणी-1)	1623*(2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा सिविलियन मोटर चालक (श्रेणी-2) जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम 6 वर्ष सेवा की हो और सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-1 का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।

(11)	(12)
	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
मुख्य इंजीनियर कमान स्तर पर समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षक इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य 3. समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड आफिसर जो विभाग से संबद्ध न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सिविलियन मोटर चालक (विशेष श्रेणी)	*232(2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	नहीं	नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा सिविलियन मोटर चालक (श्रेणी-1) जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर की ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
मुख्य इंजीनियर कमान स्तर पर समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षक इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य 3. समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड आफिसर जो विभाग से संबद्ध न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. पी.सी.-II. बी/75002/आर.आर./सीएमडी/जन./नौन-इंड./सी.एस.सी.सी./441/र.(नि.)/08]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th July, 2008

S.R.O. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Non-Industrial, Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the post of MT Driver Grade II and MT Driver Grade I except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Civilian Motor Driver in the Military Engineer Services, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Civilian Motor Drivers) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall be applicable to the post(s) as specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit and other matters realting to the said posts shall be as specified in Column 5 to 14 of the schedule aforesaid .

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 admissible	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Civilian Motor Driver (Ordinary Grade)	1392 (2008)	General Central Service Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	No	18 to 27 years The upper age-limit is relaxable for Government Servant, Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Class and certain other categories in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Trupura, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). **Note 2 :** In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age-limit in each case shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) Passed VIIIth standard/Class. (ii) Should possess valid civil Driving Licence for all type of vehicles from State Govt.	Not applicable	2 years (for direct recruits only)

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment	**Absorption :** Persons working in similar posts of equivalent or higher grades in civil posts under Ministry of Defence or other Departments and possessing qualifications prescribed for direct recruitment in Col. 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Civilian Motor Driver (Grade-II)	1392 (2008)	General Central Service Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By Promotion	**Promotion :** Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) with minimum 9 years of service in the grade and passed trade test of Civilian Motor Driver Grade-II. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligiblity service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee at Chief Engineer Command level consisting of : (1) Chief Engineer or his nominee not less than the rank of Superintending Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' Civilian Gazetted Officer or Commissioned Officer not connected with the department —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Civilian Motor Driver (Grade-I)	1623 (2008)	General Central Service Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not Applicable

(11)	(12)
By Promotion	**Promotion :** Civilian Motor Driver (Grade-II) with 6 years of service in the grade and passed trade test of Civilian Motor Driver Grade-I. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligiblity service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee at Chief Engineer Command level consisting of :— (1) Chief Engineer or his nominee not less than the rank of Superintending Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' Civilian Gazetted Officer or Commissioned Officer not connected with the department —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Civilian Motor Driver (Special Grade)	232 (2008)	General Central Service Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministrial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By Promotion	**Promotion :** Civilian Motor Driver (Grade-I) with 3 years of service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligiblity service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee at Chief Engineer Command level consisting of : (1) Chief Engineer or his nominee not less than the rank of Superintending Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer or equivalent —Member (3) Group 'A' Civilian Gazetted Officer or Commissioned Officer not connected with the department —Member	Not applicable

[F. No. PC-II.B/75002/RR/CMD/Gen./Non-Ind./CSCC/441/D (Appts.)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.